न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/4373/2004/नागौर</u>

1.भैरूराम उर्फ भेराराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी ग्राम सुरपालिया तहसील जायल जिला नागौर

– अपीलार्थी

बनाम

1.रामरतन पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम सुरपालिया तहसील जायल जिला नागौर
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर

– प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री एस.पी.सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 03.12.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06–09–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 रामरतन ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादी अपीलार्थी एवं तहसीलदार जायल के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी प्रतिवादी संख्या–1 का गोद पुत्र है तथा इनके बडेर की भूमि मौजा निम्बोडा में खेत खसरा नम्बर 78 रकबा 07बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 93 रकबा 41बीघा 07बिस्वा आये हुए है। वादी

को प्रतिवादी संख्या–1 ने दिनांक 3–1–2000 को गोद लिया, जिसकी लिखापढी की गयी थी तथा दिनांक 4–1–2000 को गोदनामा नियमानुसार पंजीयन करवाया गया, तब से वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 शामिल रहते है तथा शामिल ही काश्त करते आये है। इस प्रकार गोदपुत्र होने से तमाम अधिकार जायन्दा पुत्र की तरह वादी को मिल गये। मगर खातेदारी वादी के नाम नहीं होने से सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है। अतः वादी को प्रतिवादी संख्या–1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या–2 सरकारी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई लाई। तत्पश्चात् वादी पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त बहस सुनकर वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत वाद को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–03–2002 से डिक्री करते हुए प्रतिवादी संख्या–1 के साथ वादी को विवादित आराजी का सहखातेदार घोषित कर दिया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 अपीलार्थी ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06–09–2004 से मियाद के बिन्दू पर खारिज कर दी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी, जिसे अधिवक्ता अपीलार्थी के प्रार्थनापत्र पर मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–12–2019 से अपील में परिवर्तित करने के आदेश पारित किये गये।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. येाग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ एवं ना ही उसकी ओर से इकबाली जवाबदावा पेश किया गया, ना ही

अपने बयान देने उपस्थित हुआ। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्रतिवादी स्वयं को तामिल ही नहीं हुआ। ना ही उसकी ओर से अधिवक्ता बस्तीराम को अपनी ओर से पैरवी हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष नियुक्त किया गया था। उनका कथन है कि वादी प्रत्यर्थी ने प्रतिवादी अपीलार्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित करवा कर इकबाली जवाबदावा व बयान करवाये गये। उक्त समस्त कार्यवाही गलत व फजी है तथा विचारण न्यायालय ने इकबाली जवाबदावे एवं किसी अन्य व्यक्ति के बयान के आधार पर वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करते हुए विवादित आराजी का सहखातेदार घोषित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि वादी प्रत्यर्थी उनके पक्षकार का वैध रूप से गोद पुत्र नहीं है इसलिए किसी भी सूरत में जब तक अपीलार्थी जीवित है तब तक किसी भी अन्य व्यक्ति को चाहे वह कानूनन उत्तराधिकारी ही क्यों न हो, अपीलार्थी की स्वअर्जित आराजी में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी प्रत्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी तौर पर अन्य व्यक्ति के माध्यम से करवाई गयी है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर वादी प्रत्यर्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत घोषणा के वाद को खारिज किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन है कि अपीलार्थी भैरूराम स्वयं ने उनके पक्षकार प्रत्यर्थी रामरतन के पक्ष में दिनांक 4–1–2000 को रजिस्टर्ड गोदनामा करवाया है। उनका

कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलार्थी के इकबाली जवाबदावे एवं सहमति के आधार पर उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री करते हुए विवादित आराजी का प्रतिवादी अपीलार्थी के साथ सहखातेदार घोषित किया गया है। उनका कथन है कि हिन्दू विधि अनुसार गोद पुत्र होने व शामलाती कब्जा काश्त होने से प्रत्यर्थी को जायन्दा पुत्र के माफिक अधिकार प्राप्त हो जाते है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलार्थी की उपस्थित होने के उपरान्त बयानों में दी गयी सहमति के आधार पर वादी प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री किया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दू पर खारिज किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभपक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पर मनन किया एवं विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **वादी रामरतन ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, जायल के न्यायालय में** एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादी एवं तहसीलदार जायल के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत प्रस्तुत किया कि वादी प्रतिवादी संख्या–1 का गोद पुत्र है तथा इनके बडेर की भूमि मौजा निम्बोडा में खेत खसरा नम्बर 78 रकबा 07बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 93 रकबा 41बीघा 07बिस्वा आये हुए है। वादी को प्रतिवादी संख्या–1 ने दिनांक 3–1–2000 को गोद लिया, जिसकी लिखापढी की गयी थी तथा दिनांक 4–1–2000 को गोदनामा नियमानुसार पंजीयन करवाया गया, तब से वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 शामिल रहते है तथा शामिल ही काश्त करते आये है। इस प्रकार गोदपुत्र होने से तमाम अधिकार जायन्दा पुत्र की तरह वादी को मिल गये। मगर खातेदारी वादी के नाम नहीं होने से सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है। अतः वादी को प्रतिवादी

संख्या–1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31–7–2001 को प्रतिवादी भैरूराम की ओर से इकबाली जवाबदावा अधिवक्ता बस्तीराम ढाका की ओर से पेश किया, जिसके साथ वकालतनामा भैरूराम की ओर से अधिवक्ता बस्तीराम ढाका का पेश हुआ। इसके साथ ही विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी भैरूराम के बयान भी मौजूद है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी की ओर पेश इकबाली जवाबदावा एवं बयान के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 27–3–2002 से वादी प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री करते हुए विवादित आराजी में प्रतिवादी भैरूराम के साथ वादी प्रत्यर्थी को सहखातेदार घोषित किया।

8. जहां तक योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के इन कथनों का प्रश्न है कि प्रतिवादी अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, ना ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता नियुक्त किया गया, ना ही उसकी ओर से बयान लिपिबद्ध करवाये गये तथा फर्जी व्यक्ति को उपस्थित कर उक्त कार्यवाही करवाई गयी है, प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा फर्जी कार्यवाही करवाये जाने बाबत् किसी प्रकार की कोई एफ.आई. आर. दर्ज करवाई गयी, ना ही फर्जकारी बाबत् सक्षम न्यायालय में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलार्थी के उक्त कथनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता बस्तीराम ढाका का वकालतनामा पेश हुआ, साथ ही उसकी ओर से इकबाली जवाबदावा भी पेश हुआ एवं उसकी ओर से बयान भी विचारण न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध हुए है। पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी प्रतिवादी ने उक्त फर्जकारी बाबत् कोई सक्षम कार्यवाही की गयी हो। अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष वादी प्रत्यर्थी द्वारा की गयी उक्त फर्जकारी बाबत् सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही करने के उपरान्त ही कोई अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–09–2004 एवं सहायक कलक्टर, जायल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–03–2002 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष